



196



R-1210-II/12

श्रीमान महोदय को
द्वारा आज दि. 4/5/12 को
प्रस्तुत
कलकत्ता ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र. खालिखर

राजस्व मण्डल म.प्र. खालिखर
याचिका श्रीमान ~~अपर तहसीलदार~~ ~~बैराड~~ ~~परगना~~ ~~पोहरी~~ म 090
प्रकरण क्रमांक /2012-12 निगरानी

- 1- दीनदयाल फुल चिरोजीलाल शर्मा आयु 36 साल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम ककरौआ पर ना पोहरी जिला शिवपुरी म 090
- 2- वृजेश पुत्र इन्द्र पाल कुशवाह आयु 35 साल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम खेडन परगना पोहरी जिला शिवपुरी
- 3- वनवारीपुत्र रामदयाल यादव आयु 36 साल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम श्रीपुरा परगना पोहरी जिला शिवपुरी
- 4- रौने रामपुत्र अन्तू यादव आयु 34 साल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम श्रीपुरा परगना पोहरी जिला शिवपुरी म 090 -- आवेदकगण

बनाम

- 1- अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा बैराड तहसील पोहरी
- 2- ग्राम पटवारी ग्राम कालामड परगना पोहरी टप्पा बैराड जिला शिवपुरी -- अनावेदकगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्वीकृत विरुद्ध अपर तहसीलदार वृत्त 1 बैराड परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 177/10-12 अ 68 से पारित कारण बलाओ नोटिस दिनांकित 5-3-12 के विरुद्ध ।
पृ 30-4-2012
===== 4 =====

श्रीमान महोदय,
सेवा में आवेदकगण की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

:: प्रकरण के तथ्य ::
=====

1- यह कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम पटवारी ग्राम कालामड की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 11-12 के अनुसार शासकीय भूमि स्थित ग्राम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-1210-दो / 2012

जिला-शिवपुरी

दीनदयाल आदि विरुद्ध अतिरिक्त तहसील व ग्राम पटवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर तहसीलदार वृत्त-1 बैराड परगना पोहरी, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 177 / 2011-12 / अ-68 में पारित आदेश दिनांक 05-03-2012 एवं 30-04-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>